

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.3(82)2022/आश्रित/प्रमुख-05007/ 4351

दिनांक : 28/8/2023

-:: कार्यालय आदेश ::-

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार 6 अभ्यर्थियों का कनिष्ठ सहायक पद पर व 2 अभ्यर्थियों का वनरक्षक पद पर एवं 1 अभ्यर्थी का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर कुल 9 अभ्यर्थियों को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्ति का अनुमोदन कर उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय आवंटित किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से कनिष्ठ सहायक/वनरक्षक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि को पूर्ण जांच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जांच करेंगे।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी/केन्द्र/निगम बोर्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है, इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें। (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा)।
3. मृतक की अविवाहित पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक यह अविवाहित हैं, इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.10.2021 के क्रम में प्राप्त प्रकरणों में आवेदकों की पात्रता का परीक्षण कर संतुष्ट होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश जारी करें।
4. आवेदक पति/पत्नी होने पर कार्यग्रहण तिथि तक पुनः विवाह नहीं किया है, का शपथ-पत्र प्राप्त करें।
5. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने के संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
6. दत्तक पुत्र, पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे।
7. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)कार्मिक(क-2)(95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।

Signature valid

Digitally signed by Munish Kumar Garg
Designation : Principal Chief
Conservator of Forests
Date: 2023.08.28 11:32:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4584546



8. नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ए-II/06 दिनांक 20.01.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार प्रोवेशन ट्रेनीज (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोवेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशन ट्रेनीज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि आदि की कटौती नहीं होगी। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2 (2)वित्त (नियम)2021 पार्ट जयपुर दिनांक 25.05.2022 एवं 26.05.2022 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुसार सामान्य प्रावधानी निधि की नियमानुसार मासिक कटौती की जावेगी।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतनवृद्धि के लिये गणना योग्य ही माना जावेगा।
12. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जायेगा।
13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (2)कार्मिक/ए-II/2006 दिनांक 05.07.2010 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.2010 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानान्तरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.2010 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। इन्हें आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.2009 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।
15. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेंगे।
16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5 (51)डीओपी/ए-II/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.2015 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।
17. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.5 (51)कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2 (ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।
18. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिस पर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो।

Signature valid

Digitally signed by **Munish Kumar Garg**
Designation : **Principal Chief**
Conservator of Forests
Date: 2023.08.23 11:32:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4584546



19. राज्य सरकार के आदेशानुसार धूम्रपान/मद्यपान नहीं करने एवं गुटखा नहीं खाने का स्व-घोषणा-पत्र तथा दहेज नहीं लेने के संबंध में आवेदक से नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करें। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम आदि में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे।
20. जिन प्रकरणों में कार्मिक विभाग/शासन से शिथिलन प्राप्त है, उन प्रकरणों में प्राप्त शिथिलन में निहित शर्तों की अनुपालना की जावे।
21. जिन प्रकरणों में शिथिलन प्रदान किया गया है एवं जो अन्य विभाग के होने के कारण कार्मिक विभाग से प्राप्त हुए हैं उसमें शिथिलन आदेश में वर्णित शर्तों एवं कार्मिक विभाग से प्राप्त होने वाले प्रकरणों में कार्मिक विभाग के पत्र में वर्णित शर्तों की अनुपालना होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। इस हेतु नियुक्ति आदेश जारीकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
22. विधवा आवेदक के प्रकरणों में यदि पति की जात जोड़कर आवेदन किया गया है तो नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व अपने स्तर पर नाम विसंगति के संदर्भ में पूर्ण पुष्टि करते हुए पुष्टि होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें तथा विवाहित आवेदक के संबंध में नियम-5 का प्रमाण-पत्र, आवेदक का शपथ पत्र एवं आवेदक की पत्नी का नियम-5 का शपथ पत्र प्राप्त करें। अविवाहित आवेदक के संदर्भ में वैवाहिक स्थिति का अद्यतन शपथ पत्र प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करें। यदि वैवाहिक स्थिति में अन्तर है तो आवेदकों के आश्रितों के संबंध में नियम-5 के समस्त दस्तावेज (आवेदक व आवेदक की पत्नी का शपथ पत्र आवेदक के आश्रित परिवार के संबंध का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें।
23. आवेदक की जन्मतिथि के संबंध में नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर प्रथमतः शैक्षणिक योग्यता/टीसी (सक्षम स्तर से प्रमाणित) एवं केवल, आवेदक के विद्यालय प्रवेश नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र से पुष्टि करने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें।
24. राज्य सेवा में नियुक्ति देने के राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996, राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 एवं राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत जिन अभ्यर्थियों को वनरक्षक के रिक्त पद पर नियुक्ति देने हेतु आवंटित किया जा रहा है। जिस पद पर नियुक्ति दी जा रही है, उस पद के लिए प्रचलित नियमों में निहित शैक्षणिक, शारीरिक एवं अन्य मापदण्डों की पूर्ति होती है अथवा नहीं इस बारे में सुनिश्चित करें। सभी मापदण्ड पूर्ण करने पर नियुक्ति दें।
25. वनपाल/वनरक्षक पद पर अनु0 नियु0 के संबंध में इस कार्यालय द्वारा जारी स्थाई आदेश क्रमांक 11456-11568 दिनांक 22.09.2016 में प्रदत्त निर्देशानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत ही अनु0 नियुक्ति की कार्यवाही करें।
26. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 7(13)कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने के समय प्रत्येक कार्मिक से निम्न आशय का शपथ पत्र भी लिया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावे :-
"मैं..... शपथ लेता हूँ/लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा/रखूंगी, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा/रखूंगी तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालना करूंगा/करूंगी। (अतः ईश्वर मेरी सहायता करें)"
27. आवेदक की सेवा-पुस्तिका में लाल स्याही से यह अंकित किया जावे कि श्री/सुश्री/श्रीमतीको इनके माता/पिता/पति की मृत्यु पर मृत राज्य कर्मचारी के उपरान्त नियुक्ति आदेश नियम-1996 के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गई है।

Signature valid

Digitally signed by **Munish Kumar Garg**
Designation : **Principal Chief**
Conservator of Forest
Date: 2023.08.24 10:32:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4584546



अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुये पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाएँ।

क्र. सं.	आवेदक का नाम एवं जन्म तिथि	मृतक से संबंध	आवेदन तिथि तथा आवेदित एवं आवंटित पद	आवेदक की श्रेणी	मृतक का नाम व पदनाम	आवंटित कार्यालय का नाम
1	सुरेन्द्र सुमन 28.12.2001	दत्तक पुत्र	27.07.2020 कनिष्ठ सहायक	OBC	रामलाल माली, चौकीदार	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, कोटा
2	सुनिल सिंह 25.07.2003	पुत्र	19.04.2023 कनिष्ठ सहायक	UR	राजेन्द्र सिंह, बेलदार	व वन्दोबस्त अधिकारी, बीकानेर
3	धनराज मीणा 11.07.1986	पुत्र	31.01.2022 कनिष्ठ सहायक	ST	राम कुंवार मीणा, कैटलगार्ड	इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 9303 दिनांक 31.08.2022 द्वारा वनरक्षक के पद पर किए गए आवंटन को निरस्त करते हुए कार्यालय उप वन संरक्षक, बांरा मे कनिष्ठ सहायक के पद पर
4	मनीष कुमार गुर्जर 23.04.2001	अविवाहित भाई	25.07.2022 कनिष्ठ सहायक	OBC	लोकेश कुमार गुर्जर, वनरक्षक	उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक, रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व, बून्दी
5	अजय सिंह 14.05.2001	पुत्र	28.03.2023 कनिष्ठ सहायक	UR	धारासिंह, सहायक वनपाल	उप वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर
6	दीप कुमार 10.05.2001	पुत्र	10.10.2022 कनिष्ठ सहायक	SC	छोटूराम मेघवाल, बेलदार	इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 984 दिनांक 25.04.2023 द्वारा उप वन संरक्षक, वुरु को वनरक्षक के पद पर किए गए आवंटन को निरस्त करते हुए कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर मे कनिष्ठ सहायक के पद पर
7	शंकर सिंह रावत 17.09.1997	पुत्र	01.07.2021 वनरक्षक	OBC	गजेन्द्र सिंह रावत, कैटलगार्ड	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, राजसमन्द

Signature valid

Digitally signed by Munish Kumar Garg
Designation : Principal Chief
Conservator of Forest
Date: 2023.08.24 14:32:26 IST
Reason: Approval

RajKaj Ref No. : 4584546



8	हेमन्त सिंह 08.10.1999	पुत्र	26.04.2023 वनरक्षक	UR	दलवीर सिंह, चौकीदार	उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर
9	अशोक 24.07.1985	पुत्र	05.08.2022 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	OBC	ओमप्रकाश, बेलदार	उप वन संरक्षक, धौलपुर

संलग्न : उपरोक्त आश्रितों के मूल प्रकरण आवंटित कार्यालयों व-

भवदीय,

(मुनीश कुमार गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.3(82)2022/आश्रित/प्रमुखसं-05007/ 4351-85

दिनांक : 28/8 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सरिस्का, अलवर
5. मुख्य वन संरक्षक, कोटा/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं क्षेत्र निदेशक, मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा।
8. वन बन्दोबस्त अधिकारी, बीकानेर/उप वन संरक्षक, बांरा/वन्यजीव, कोटा/चूरु/श्रीगंगानगर/प्रतापगढ़/वन्यजीव, जयपुर/वन्यजीव, राजसमन्द/उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना, सरिस्का
9. उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक, रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व, बून्दी
10. उप वन संरक्षक, वन्यजीव राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभ्यारण्य, धौलपुर, राजस्थान।
11. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु।
12. प्रभारी गोपनीय/प्रभारी कार्मिक-स्ट्रेन्थ/निजी सहायक मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
13. श्री सुरेन्द्र सुमन दत्तक पुत्र स्व. श्री रामलाल माली निवासी ग्राम नापाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा, राजस्थान।
14. श्री सुनिल सिंह पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र सिंह निवासी वार्ड न. 32 (नया 46), डाबला रोड़, टकणेत हाउस के पास, चूरु, राजस्थान।
15. श्री धनराज मीणा पुत्र स्व. श्री राम कुंवार मीणा निवासी ग्राम महुआ पोस्ट झटवाड़ा, तहसील मांगरोज जिला बांरा, राजस्थान।
16. श्री मनीष कुमार गुर्जर अविवाहित भाई स्व. श्री लोकेश कुमार गुर्जर निवासी हांपोलाई पोस्ट मोडसां तहसील नैनवा जिला बूंदी राजस्थान।
17. श्री अजय सिंह पुत्र स्व. श्री धारासिंह निवासी ग्राम पोस्ट पेहल तहसील मुण्डावर जिला जयपुर राजस्थान।
18. श्री शंकर सिंह रावत पुत्र स्व. श्री गजेन्द्र सिंह रावत निवासी गांव गजपुर तहसील राजसमन्द, राजस्थान।

Signature valid

Digitally signed by Munish Kumar Garg
Designation : Principal Chief
Conservator of Forest
Date: 2023.08.28 17:32:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4584546



19. श्री हेमन्त सिंह पुत्र स्व. श्री दलवीर सिंह निवासी 2 के.एन.डी. ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
20. श्री संदीप कुमार पुत्र स्व. श्री छोटूराम मेघवाल निवासी लोहसना छोटा तहसील व जिला चूरु, राजस्थान।
21. श्री अशोक पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश निवासी पोस्ट मनिया तहसील व जिला धौलपुर राजस्थान।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref No. : 4584546

Signature valid

Digitally signed by Munish Kumar Garg
Designation : Principal Chief
Conservator of Forests
Date: 2023.08.24 14:32:26 IST
Reason: Approved

